भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1080

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में बाल शल्य चिकित्सकों की कमी

1080 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बाल शल्य चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं या नियोजित किए जा रहे हैं; और

(ख) भारतीय बाल शल्य चिकित्सक संघ द्वारा छह वर्षीय एम. सीएच बाल शल्य चिकित्सा कार्यक्रम को मान्यता देने, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण में सुपर स्पेशियलिटी रोटेशन को पुनः शुरू करने, और चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता के लिए न्यूनतम मानक के रूप में बाल शल्य चिकित्सा वार्ड के प्रबंधन हेतु समर्पित बाल शल्य चिकित्सा इकाई स्थापित करने के अनुरोधों के संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में वृद्धि की है। वर्ष 2014 से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780, स्नातक (यूजी) सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं।

देश में बाल चिकित्सा सर्जनों सहित चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रही है:

i. जिला/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत 157 स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।
ii. एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर आदि का निर्माण एक घटक के रूप में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" से संबंधित है। इस घटक के अंतर्गत 75 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। दूसरा घटक नए एम्स की स्थापना से संबंधित है, जिसके लिए 22 एम्स को मंजूरी दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के मानक-2023 (पीजीएमएसआर-2023)" में एम.सीएच. (बाल शल्य चिकित्सा) के लिए बुनियादी ढाँचे के मानदंडों में ढील दी है। अब यह पाठ्यक्रम दो (2) सीटों, न्यूनतम बीस (20) बिस्तरों और केवल दो संकाय सदस्यों के साथ शुरू किया जा सकता है, जिसमें वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि पहले तीन संकाय सदस्य और एक वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता होती थी। बाद में सीटों की संख्या तीन और पाँच तक बढ़ाने के लिए क्रमशः 30 और 40 बिस्तरों की आवश्यकता होगी।

(ख): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****